<u>न्यायालय-ए०के०गुप्ता,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला</u> <u>भिण्ड (म०प्र०)</u>

आपराधिक प्रक0क्र0-679 / 15

संस्थित दिनाँक-11.09.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—गोहद चौराहा जिला—भिण्ड (म0प्र0)अभियोगी

विरुद्ध

THE STATE

धर्मेन्द्र सिंह पुत्र प्रकाश सिंह गुर्जर, उम्र 31 साल निवासी— पटेल का पुरा मजरा लावन, थाना गोरमी, जिला भिण्ड, म0प्र0

.....अभियुक्त

<u>—ः निर्णय ::—</u> {आज दिनांक 02.03.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर आयुद्य अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25—(1—बी) (ए) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि आपने दिनांक 25.07.2015 को समय लगभग 13:30 बजे, पिपाहड़ी हेड पुलिया से 50 कदम दूरी नहर श्यामपुरा तरफ अपने आधिपत्य में एक 315 बोर आग्नेय आयुध तथा एक जिंदा राउण्ड अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के रखे पाया गया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 25.07.2015 को थाना गोहद चौराहा में पदस्थ थाना प्रभारी महेश सिंह जादौन भ्रमण के लिए जस्तपुरा पुलिया पर मुखबिर से सूचना मिली कि पिपाहड़ी हेड पर लड़के अवैध रूप से हथियार लिए कोई वारदात करने की नीयत से घूम रहे हैं। उक्त सूचना की तश्दीक हेतु उपलब्ध राहगीर संजीव व वृजराज सिंह को बुलाकर सूचना उपरांत मय बल के पिपाहड़ी हेड पुलिया पर पहुंचे तो वहां पुलिस को देखते ही लड़के भागे। फोर्स की मदद से एक लड़के को पकड़ा पूछताछ करने पर उसने अपना नाम पता बताया। तलाशी लेने पर कमर में वायीं तरफ एक 315 बोर का लोडेड कट्टा मिला, जिसके रखने का लाइसेंस चाहे जाने पर लाईसेंस न होना बताया। अभियुक्त से मौकेपर उक्त 315 बोर का कट्टा जप्त कर जप्तीपत्रक बनाया, गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया। थाना वापसी पर अपराध कमांक 179/ 15 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौराने अनुसंधान साक्षियों के कथन लेख किए गए। जप्तशुदा कट्टे व कारतूस जांच कराई गई। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

- 3. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द०प्र०स० की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा विरोधियों के कहने पर झूंटा फंसाया जाना बताया।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं 🖳
 - 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.07.2015 को समय लगभग 13:30 बजे, पिपाहड़ी हेड पुलिया से 50 कदम दूरी नहर श्यामपुरा तरफ अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में एक 315 बोर का लोडेड कट्टा रखा ?
 - 2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर एक 315 बोर का कट्टा बिना वैध अनुज्ञप्ति के संधारित किए ?

<u>—ः: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

- 5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में संजीव सिंह अ०सा० 1, एम०एस० जादौन अ०सा० 2, ब्रजराज अ०सा० 3, सुरेशदत्त मिश्रा अ०सा० 04, रामकुमार अरेले अ०सा० 05, महेन्द्र सिंह भदौरिया अ०सा० 06, विदुराज तोमर अ०सा० 07 को परीक्षित कराया गया है, जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों को एक साथ निराकरण किया जा रहा है।
- 6. प्रकरण में जप्तीकर्ता अधिकारी महेश सिंह जादौन अ0सा0 02 यह कथन करते हैं कि वे दिनांक 25.07.2015 को थाना प्रभारी गोहद चौराहे के रूप में पदस्थ थे। उक्त दिनांक दौराने कस्बा भ्रमण जस्तपुरा पुलिया पर मुखबिर सुचना मिली कि पिपाहड़ी हेड पर लड़के अवैध हथियार लिए वारदात करने की नियत से घूम रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर उन्होंने उपलब्ध साक्षी संजीव तोमर व ब्रजराज सिंह राजावत को तलब कर अवगत कराया और अपने हमराह फोर्स को लेकर पिपाहड़ी हेड पहुंचे तो पुलिस को देख कर लड़के नहर तरफ भागे। हमराह फोर्स की मदद से एक लड़के को पकड़ा उसने अपना नाम धर्मेन्द्र गुर्जर होना बताया। उसकी तलाशी लेने एक 315 बोर का लोडेड कट्टा मिला, जिसके संबंध में लाईसेंस चाहा तो लाईसेंस न होना बताया। साक्षी द्वारा अभियुक्त से समक्ष गवाहों मौके पर 315 बोर का लोडेड कट्टा जप्त कर जप्तीपत्रक प्र0पी0 01 बनाया, जिस पर बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 02 बनाये जाने और उस पर भी पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित होना बताते हैं। थाने पर वापस आकर रोजनामचा सान्हा में वापसी दर्ज करने तथा अपराध क्रमांक 179/15 पर प्र0पी0 04 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किए जाने का कथन करते हैं।

- 7. प्रकरण में प्र0पी0 01 व प्र0पी0 02 अर्थात् जप्तीपत्रक व गिरफ्तारी पत्रक के स्वतंत्र साक्षी संजीव सिंह अ0सा0 01 व ब्रजराज सिंह अ0सा0 03 हैं। जो अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त को न जानने का कथन करते हैं और उनके समक्ष पुलिस द्वारा कोई भी कट्टा व कारतूस जप्त किए जाने के तथ्य से इंकार करते हैं। साक्षीगण को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्नों में उनके समक्ष अभियुक्त के आधिपत्य से कट्टा व कारतूस जप्त किए जाने के संबंध में साक्षियों द्वारा इंकार किया है। यद्यपि जप्तीपत्रक प्र0पी0 01 व गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 02 में ए से ए भाग पर हस्ताक्षरों को स्वीकार करता है, किंतु उनके द्वारा अभियोजन के मामले का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं किया गया है। अभियुक्त की और से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध स्वतंत्र साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। अतः उसके विरुद्ध असत्य अपराध बनाया गया है। साक्ष्य विधि के अधीन ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुलिस साक्ष्य के अभिसाक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, किंतु यह आवश्यक है कि पुलिस साक्ष्यों की साक्ष्य को भी अन्य साधारण साक्षियों की भांति ही विश्लेषित किए जाने की विधि आवश्यकता को उपबंधित करती है। ऐसे में प्रस्तुत पुलिस साक्षियों की अभिसाक्ष्य को सूक्ष्मता से विश्लेषित करने की आवश्यकता है।
- 08. अन्य घटना का सुरेशदत्त मिश्रा अ०सा० ०४ भी घटना के साक्षी बताए गए हैं, जो उक्त दिनांक को थाना प्रभारी महेश सिंह जादौन के साथ आरक्षक जितेन्द्र, मूलचंद्र और अजीत सिंह के साथ इलाका भ्रमण पर जाने का कथन करते हैं और जस्तपुरा में थाना प्रभारी को मुखबिर सूचना मिलने और उक्त सूचना से राहगीर को अवगत कराए जाने तत्पश्चात् पिपाहड़ी हेड पर दो व्यक्तियों के दिखने जिन्हे घेर कर पकड़ने और धर्मेन्द्र गुर्जर की कमर में 315 बोर का कट्टा व उसमें राउण्ड मिलना बताते हैं। इस प्रकार से इस पुलिस साक्षी द्वारा जप्तीकर्ता अधिकारी की साक्ष्य का समर्थन किया गया है।
- 09. महेश सिंह जादौन अ0सा0 2 अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 03 में कथन करते हैं कि थाने से भ्रमण के लिए सुबह 10:00 बजे रवाना हुए थे। उस दिन लोधे की पाली, कनीपुरा, जस्तपुरा आदि गांव में भ्रमण किया था, किंतु यह बताने में असमर्थ हैं कि थाने से रवाना होकर किस गांव में पहुंचे और वहां कितना समय रुके। जस्तपुरा में सूचना करीब 12:30 बजे मिलने का कथन करते हैं। सूचना मिलने के बाद गवाहों के साथ मुखबिर के बताए स्थान पर जाने जो कि ग्राम जस्तपुरा से लगभग 2—3 कि0मी0 दूर होने का कथन करते हैं। सुरेशदत्त मिश्रा अ0सा0 04 भी घटना के साक्षी बताए गए हैं, जो प्रतिपरीक्षण में थाने से 10 बजे निकलने का कथन करते हैं। ग्राम जस्तपुरा में साक्षीगण का पैदल जाते हुए मिलना बताते हैं। यह साक्षी याद न होना बताता है कि जब जस्तपुरा से पिपाहड़ी गए, उस समय लोग मिले या नहीं। पिपाहड़ी तक पहुंचने के लिए पहले दो गांव मिलने का कथन करते हैं। उक्त दिनांक को जस्तपुरा पिपाहड़ी हेड व तेहरा ग्राम का भ्रमण किया जाने का कथन

करते हैं। जस्तपुरा के लि ग्राम कनीपुरा, लोधे की पाली होते हुए न जाने का कथन करते हैं, बिल्क पिपाहड़ी होकर जस्तपुरा जाने का कथन करते हैं। इस प्रकार से दोनों ही साक्षियों द्वारा जप्ती साक्षी संजीव अ0सा0 01 व ब्रजराज अ0सा0 03 के मिलने के संबंध में तथा जप्तीस्थल पर पहुंचने से पूर्व जिन गांव का भ्रमण किया उनके संबंध में परस्पर विरोधाभाषी कथन किए हैं।

- 10. प्रकरण में साक्षी एम०एस० जादौन अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में यह स्वीकार करते हैं कि अभियुक्त के विरुद्ध घटना की पूर्व रात्रि में एक अपराध उनके थाने में पंजीबद्ध किया गया था जबिक सुरेशदत्त अ०सा० 4 ऐसे किसी अपराध के संबंध में जानकारी न होना बताते हैं। साक्षी एम०एस० जादौन अ०सा० 4 कथित स्वतंत्र साक्षी संजीव व ब्रजराज का शराब के ठेके के कर्मचारी होना बताते हैं जबिक सुरेशदत्त मिश्रा उक्त साक्षियों को पहले से जानते थे इस संबंध में कोई कथन नहीं किया गया। विदुराज तोमर अ०सा० 7 अनुसंधान कर्ता हैं जो प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में कथन करते हैं कि उन्होंने साक्षियों को बुलाने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया बल्कि उक्त साक्षी केस डायरी प्राप्त होने के बाद तुरंत ही थाने पर आ गए थे और स्वतः यह भी कथन किया कि उक्त लोग थाने पर आते जाते रहते हैं। जब्दीकर्ता एम०एस० जादौन अ०सा० 2 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में कथित घटनास्थल पर आसपास लोग रहने और एक दो घर बने होने का कथन करते हैं किन्तु ह । टाना स्थल पर करीब पौन घण्टा रूकने पर भी उन्होंने किसी स्वतंत्र साक्षी को घटना का साक्षी नहीं बनाया और थाने पर अक्सर आने जाने वाले कथित साक्षी संजीव अ०सा० 1 व ब्रजराज अ०सा० 3 को जब्ती का साक्षी बनाया जाना संदेहपूर्ण परिस्थिति को उत्पन्न करता है।
- 11. प्रकरण में कोई भी रवानगी व वापसी रोजनामचा सान्हा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रमाणित नहीं कराया गया है जिससे जब्तीकर्ता अधिकारी की साक्ष्य में उत्पन्न कार्यवाही की विसंगति को स्पष्ट किया जा सकता था। प्रकरण में प्र0पी0 4 की प्राथमिकी में थाने से रवाना होने का व वापस होने का कोई भी सुसंगत रोजनामचा क्रमांक अंकित नहीं हैं। यहां तक कि प्राथमिकी के संबंधित कॉलम नं0 3 में रोजनामचा सान्हा की प्रविष्टि रिक्त छूटी हुई है। ऐसे में जो अभियुक्तगण पूर्व से ही वांछित थें, उन्हें गिरफ्तार करते समय उक्त कार्यवाही दर्शाए जाने के अभियुक्त के अधिवक्ता के तर्क को बल प्रवान होता है।
- 12. प्रकरण में रामकुमार अ०सा० 5 कट्टा व कारतूस के जांचकर्ता है जो अपने अभिसाक्ष्य में उक्त जब्तशुदा कट्टा व कारतूस के संचालनीय अवस्था में होने के संबंध में कथन करते हैं, जांच रिपोर्ट प्र०पी० 6 के रूप में प्रमाणित करते हैं। उनके कथन में कोई विसंगति दर्शित नहीं हैं। साक्षी का कथन औपचारिक प्रकृति का है। महेन्द्र भदौरिया अ०सा० 6 अभियोजन स्वीकृति आदेश के साक्षी हैं जो दिनांक 17.08.15 को जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में पदस्थ होने पर उक्त दिनांक को तत्कालीन प्रभारी जिला दण्डाधिकारी आर०पी० भारती के समक्ष कट्टा कारतूस मय केस डायरी के

प्रस्तुत होने पर अभियुक्त के संबंध में अभियोजन स्वीकृति प्रदान किए जाने का कथन करते हैं। साक्षी की साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधि० 1872 की धारा 47 के अधीन कारबार के सामान्य अनुक्रम में हस्ताक्षर व हस्तिलिपि से परिचित के रूप में सुसंगत होने से प्र0पी० 7 की अभियोजन स्वीकृति प्रमाणित है। साक्षी प्रतिपरीक्षण में यह बताने में अस्मर्थ हैं कि किन व्यक्तियों के समक्ष कथित जब्तशुदा आग्नेय आयुध खोला गया और किन व्यक्तियों के समक्ष सीलबंद किया गया।

- 13. प्रकरण में जब्तीकर्ता अधिकारी के द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी से प्र0पी0 1 का जब्ती पत्रक प्रमाणित न कराया जाना, कथित स्वतंत्र साक्षियों का थाने पर अक्सर आने जाने संबंधी विवेचक विदुराजिसंह अ०सा० 7 का कथन, थाने से रवाना और वापस होने की सुसंगत रोजनामचा सान्हा प्रविष्टि का अभाव कट्टा व कारतूस की किसी विशेष पहचान का अभाव, जब्तीकर्ता का घटना स्थल के आसपास लोगों के रहने व एक दो घरों का बने होने का कथन किया जाना जबिक अन्य पुलिस साक्षी सुरेशदत्त अ०सा० 4 का जब्तीस्थल के पास कोई मकान न होने व काफी दूर बने होने का कथन परस्पर विरोधाभासी होने, अभियुक्त के विरुद्ध घटना के एक रात पहले ही अपराध पंजीबद्ध होने की स्वीकृति एवं जब्तीकर्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण की किण्डका 4 में समय समय पर शराब, कट्टे आदि पकडने के संबंध में विरुट्ध अधिकारियों के निर्देश की स्वीकृति समस्त परिस्थितियां अभियुक्त के आधिपत्य से अभिकथित आग्नेय आयुध कट्टा व कारतूस जब्त किए जाने के संबंध में संदेहपूर्ण परिस्थिति को उत्पन्न करता है।
- 14. दांडिक विधि के अनुसार अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत वर्की जोसफ बनाम करेल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच काफी दूसे है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति—युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण के बिरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 25.07.2015 को समय लगभग 13:30 बजे, पिपाहड़ी हेड पुलिया से 50 कदम दूरी नहर श्यामपुरा तरफ अपने आधिपत्य में एक 315 बोर आग्नेय आयुध तथा एक जिंदा राउण्ड अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के रखे पाया गया। अतः अभियुक्त को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1—बी) ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 15. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलकर 6 माह तक प्रभावी रहेगा।
- 16. प्रकरण में जब्तशुदा 315 बोर का कट्टा एवं एक कारतूस अपील अवधि पश्चात् विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजे जावे। अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।
- 17. यदि अभियुक्त इस प्रकरण में निरोध में रहा हो, तो इस संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

सही / -

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

WILH STALL PARELES

सही / – ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्द्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश